

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025-26/241
प्रति

भोपाल, दिनांक 07/08/2025

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन एवं पूर्व से कार्यरत आवेदकों की री-ज्वॉइनिंग के संबंध।

संदर्भ:-संचालनालय का पत्र क्र/199 दिनांक 26.06.2025।

उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पूर्व से कार्यरत आवेदकों की विद्यालय में रिक्त पद होने पर री-ज्वॉइनिंग एवं आवेदकों को रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

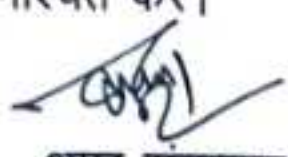
उक्त परिपेक्ष्य में एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत आवेदकों की री-ज्वॉइनिंग तथा शेष रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन निम्नानुसार समयसारणी अनुसार किया जा सकेगा।

क्र.	कार्यवाही विवरण	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	पूर्व से कार्यरत आवेदकों द्वारा री-ज्वॉइनिंग रिक्वेस्ट दर्ज करना।	आवेदक द्वारा	08 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 को सांय 4 बजे तक
2	शाला प्रभारी द्वारा आवेदक द्वारा दर्ज की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत अप्रूव/रिजेक्ट करना।	शाला प्रभारी द्वारा	08 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक
3	आवेदकों द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन करना।	आवेदक द्वारा	08 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक

पूर्व से कार्यरत आवेदकों हेतु री-ज्वॉइनिंग के लिए यह अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आवेदक द्वारा नियत समयसीमा में पोर्टल पर कार्यवाही नहीं की जाती है, तो आवेदक री-ज्वॉइनिंग हेतु कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयसीमा में करना सुनिश्चित करें।

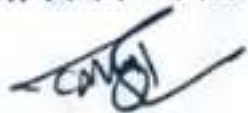
आयुक्त द्वारा अनुमोदित


अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2025-26/242
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07/08/25

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. NicSI भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं समयसीमा मे पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश